

डिक्री व मुकदमें ईक्टदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या. प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 525 / 2024

शिवप्रकाश पुत्र श्री जगदीश जाति बिश्नोई निवासी 11 पीटीपी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़ (राज.)

वादी

वनाम्

1 बंशीलाल पुत्र श्री मनीराम जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उत्तराधा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल
हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी
मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती है:-

(क) वादी शिवप्रकाश पुत्र श्री जगदीश के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत कृषि भूमि:- चक 14 पीटीपी खाता सं.
117/104 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

107/141 54 4/1/0.215 है. 4/2/0.038 है. कुल 0.253 है. मय गै.मु.

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 बंशीलाल पुत्र मनीराम के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत कृषि भूमि:- चक 14 पीटीपी खाता
सं. 117/104 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

107/141 54 5/1/0.190 है. 5/2/0.038 है. 5/3/0.025 है. कुल 0.253 है. मय गै.मु.

अतः वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तनुसार खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व
रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज नल मुब्लिक निल बाबत निल 100/ खर्चा मुकदमें के मय शुद वा

शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

बसब्ल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 1.1.2025 को जारी किया गया।



(जयदेव प्रसाद)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

संगरिया